Vol 5 Issue 5 Feb 2016

ISSN No : 2249-894X

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Review Of Research Journal

Chief Editors

Ashok Yakkaldevi
A R Burla College, India

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2249-894X**

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad.

Advisory Board

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Fabricio Moraes de AlmeidaFederal
University of Rondonia, Brazil

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Xiaohua Yang
University of San Francisco, San Francisco

Karina Xavier
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

May Hongmei Gao
Kennesaw State University, USA

Marc Fetscherin
Rollins College, USA

Liu Chen
Beijing Foreign Studies University, China

Mabel Miao
Center for China and Globalization, China

Ruth Wolf
University Walla, Israel

Jie Hao
University of Sydney, Australia

Pei-Shan Kao Andrea
University of Essex, United Kingdom

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea
Spiru Haret University, Romania

Mahdi Moharrampour
Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran

Titus Pop
PhD, Partium Christian University, Oradea,
Romania

J. K. VIJAYAKUMAR
King Abdullah University of Science & Technology,Saudi Arabia.

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences
Al. I. Cuza University, Iasi

REZA KAFIPOUR
Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz, Iran

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

Nimita Khanna
Director, Isara Institute of Management, New Delhi

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

P. Malyadri
Government Degree College, Tandur, A.P.

S. D. Sindkhedkar
PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [M.S.]

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

C. D. Balaji
Panimalar Engineering College, Chennai

Bhavana vivek patole
PhD, Elphinstone college mumbai-32

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut (U.P.)

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

Jayashree Patil-Dake
MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC),Kachiguda, Hyderabad

Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA
UNIVERSITY, KARAIKUDI,TN

V.MAHALAKSHMI
Dean, Panimalar Engineering College

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University

Kanwar Dinesh Singh
Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.....

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.ror.isrj.org

Review of Research
International Online Multidisciplinary Journal

ISSN: 2249-894X Impact Factor : 3.1402(UIF) Volume - 5 | Issue - 5 | Feb - 2016

'वर्तमान शिक्षा में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवश्यकता

सरोज राय
सहायक आचार्या, शिक्षा विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान,
लाडनूं, राजस्थान.

प्रस्तावना –

नन्हीं सी इक नदी जानिबे मंजिल चली,
राह में मिले पत्थर चट्टान, टकराती सम्भलती आगे बढ़ी।
साल दर साल गुजरते रहे पत्थर घिसे,
झुके टूट गए, उस छोटी सी नदी के आगे हौसले उनके पस्त हुए
नन्हीं सी इक नदी बेखौफ बढ़ चली.....।।

महिला और जुल्म दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। मानव सभ्यता का विकास जैसे–जैसे गति पकड़ता गया, उसके साथ ही महिला का शोषण भी बढ़ता गया। पूर्व वैदिककाल के मातृत्व समाज ने करवट ली और सत्ता पुरूष प्रधान होते ही महिलाओं की स्थिति बद से बदत्तर होती चली गयी।

विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। ऋग्वैदिक ऋचाएं यह बताती है महिलाओं को सभी कार्य के लिए स्वतन्त्रता प्रदान की जाती थी। उनकी शादी एक परिपक्व उम्र में होती थी। संभवतः उन्हें पति चुनने की भी आजादी थी। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रन्थ कई महिला साध्वियों और सन्तों के बारे में बताते है, जिनमें गार्गी और मैत्रेयी के नाम उल्लेखनीय है।

मध्यकाल के दौरान भारतीय महिलाओं की स्थिति में अधिक गिरावट आयी। जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गयी। राजस्थान के राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियों या मन्दिर की महिलाओं को यौन शोषण का शिकार होना पड़ता था। वह विवाह की प्रथा हिन्दू शासकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल किया।

अगर बात आधुनिक भारत की महिलाओं की करे तो सभी तरह की गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, राजनीति, मीड़िया, कला, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हिस्सा ले रही है। इन्दिरा गांधी अब तक की सबसे लम्बे समय तक भारत की महिला प्रधानमंत्री के रूप में पन्द्रह वर्षों तक सेवा की है। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सफल नेतृत्व प्रदान कर रही है। सुषमा स्वराज भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत है। लौकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन सफलता पूर्वक संसद में संचालन कर रही है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने भी सफलता पूर्वक संसद का संचालन करती थी। स्त्री–पुरूष को समान अधिकार निर्धारित करने वाले प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ की नियमावली है। इसमें कहा गया है कि समस्त मानव जाति को जन्म से समान प्रतिष्ठा और अधिकार प्राप्त है। सभी स्त्री–पुरूष को बिना किसी भेद–भाव के समान स्वतन्त्रता और अधिकार प्राप्त है।

वर्तमान समय में महिलाओं के अधिकारों की बात करे तो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। महिलाओं पर हो रहे अपराध इस बात को बयान कर रहे हैं कि कोई भी महिला देश, राज्य, संस्थान, कॉलेज, यूनिर्वसिटी, बहार परिवार, रिश्तेदार, सड़क, क्षेत्र बस यहां तक कि स्वयं की घर की सीमा में सुरक्षित नहीं है। शायद यह कहावत सिद्ध करती हैं–

''हमें तो अपनो ने लूटा, गैरों में कहा दम था
मेरी किश्ती, वही डूबी जहां पानी कम था।''

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवश्यकता इस कारण है कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए बेल बजाओं अभियान सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय द्वारा जनहित में जारी किया गया। तमाम अभिनेता जिन्होंने इस अभियान में भाग लिया और जागरूकता फैलाने में सहयोग दिया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को समय–समय पर जागरूक करने की आवश्यकता है जिसमें कुछ हद तक सरकार भी अपना योगदान दे रही है। सरकार टी.वी. कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को जागरूक करने का कार्य कर रही है। लेकिन वर्तमान में संवैधानिक अधिकारों के प्रति महिलाओं की स्थिति में इतनी गिरावट आई है। महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा व्यवस्था है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा :

महिला, वृद्ध, बच्चों के साथ होने वाली किसी भी तरह की घटना, हिंसा, अपराध घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में दहेज प्रताड़ना तथा अकारण मारपीट है।

- कोई भी महिला परिवार के पुरूष द्वारा की गयी मार–पीट अथवा अन्य प्रताड़ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलायेगी।
- दिल्ली स्थित एक सामाजिक संस्था द्वारा कराए अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग पांच करोड़ महिलाओं को अपने ही घर में हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें से मात्र (0.1) प्रतिशत महिलाएं ही हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाती है।
- घरेलू हिंसा के कारणों में पितृसत्ता अधिक महत्व रखती है, इसलिए लड़की को कमजोर लड़के को साहसी माना जाता है। लडत्रकी के स्वतन्त्र जीवन के आरम्भिक अवस्था में कुचल दिया जाता है। समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव होने के कारण महिलाओं के चरित्र पर संदेह होने से इलेक्ट्रानिक मीडिया का दुष्प्रभाव महिला को स्वावलम्बी बनाने से रोकने के कारण अनेक शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्क दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे महिलाओं के काम तथा निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है।

घरेलू हिंसा से सुरक्षा :

क्या है घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा का अर्थ है महिला से किसी भी तरह प्रताड़ना। महिला के साथ मानसिक प्रताड़ना से आशय है कि ताना मारना, गाली–गलौज करना या अन्य तरह से भावनात्मक ठेस पहुंचाना। अगर महिला के साथ आर्थिक प्रताड़ना की जाती है, उसका भी इसी के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। अर्थात् महिला को खर्चा न देना, उसकी सैलीरी ले लेना। इन तमाम मामलों में महिला चाहे वह बेटी हो पत्नी हो मां हो इसके लिए वह आवाज उठा सकती है तथा घरेलू हिंसा कानून (2005) का सहारा ले सकती है। तथा वह डी. वी. एक्ट 43 के तहत भी शिकायत कर सकती है।

एक ही छत के नीचे किसी भी रिश्ते के तहत रहने वाली महिला प्रताड़ना की शिकायत कर सकती है। वह हर रिलेशन घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा। अगर महिला शादी के रिलेशन में नहीं है और उसके साथ घरेलू हिंसा होती है तो ऐसी स्थिति में वह पुरूष को ही प्रतिवादी बना सकती है उसके परिवार वालों को नहीं।

डी.वी. एक्ट की धारा 43 के अन्तर्गत महिला मेटोपालिटन मजिस्ट्रेट की कोई में शिकायत कर सकती है। शिकायत पर सुनवाई के दौरान अदालत प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगता है।

दहेज निरोधक कानून :

दहेज प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के प्रावधान किये गये हैं। महिलाओं को ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले, कानून में इसका एक पुख्ता प्रबन्ध है। दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए 1986 में आई.पी.सी. की धारा 498ए का प्रावधान किया गया है इसे, जिसे दहेज निरोधक कानून कहा जाता है। अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है, ऐसी स्थिति में महिला की शिकायत पर इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। तथा इसको गैर जमानती अपराध माना जाता है। इस मामले में दोषी पाये जाने पर अधिकतम 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर शादी–शुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है और यह मौत शादी के सात साल के अन्दर होती है, तो पुलिस आई.पी.सी. की धारा 304–बी के तहत केस दर्ज करती है। 1961 में बना दहेज निरोधक कानून रिफॉर्मेटिव कानून है। दहेज निरोधक कानून की धारा आठ कहता है कि, दहेज लेना और देना दोनों संगीन अपराध है।

स्त्रीधन :

स्त्रीधन वह सम्पत्ति जो महिला को शादी के वक्त उपहार के तौर पर मिलते है। इस पर लड़की का पूरा हक माना जाता है। अगर ससुराल पक्ष ने महिला का स्त्रीधन अपने पास रख लिया है तो महिला खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 406 के तहत शिकायत कर सकती है इसके तहत कोर्ट के आदेश से महिला को अपना स्त्रीधन वापस मिल सकता है।

प्रसूति अवकाश :

गर्भवती महिलाओं के कुछ खास अधिकार है, इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए है। संविधान के अनुच्छेद–42 के तहत कामकाजी महिलाओं को तमाम अधिकार दिए गए है। पार्लियामेन्ट ने 1961 में यह कानून बनाया था, कि इसके तहत कोई भी महिला अगर सरकारी नौकरी में किसी फैक्ट्री में या किसी अन्य प्राइवेट संस्था में, काम करती है। इसकी स्थापना इम्पलॉठज स्टेट इंश्योरंस एक्ट 1948 के तहत हुई है, जो भी महिला काम करती है उसे मैटरनिटी वेनिफिट मिलेगा। इसके तहत महिला को 12 हफ्ते की मैटरनिटी अवकाश का फायदा मिलता है। इसके तहत महिला को 12 हफ्ते की मैटरनिटी अवकाश मिलता है। जिसे वह अपनी जरूरत के हितसाब से सकती है। इस दौरान महिला को सैलरी और भत्ता भी दिया जायेगा। अगर महिला का अबार्शन हो जाता है, तो भी उसे इस एक्ट का लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत यह भी प्रावधान है कि अगर महिला प्रेग्नेंसी के कारण या वक्त से पहले बच्चे का जन्म होता है, तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एक महीने का अतिरिक्त अवकाश मिलता है। इस दौरान भी उन्हें वेतन और भले मिलते रहेंगे। केन्द्र सरकार ने सुविधा दी है कि सरकारी महिला कर्मचारी जो मां है या मां बनने वाली है उन्हें (351 की जगह 180) दिन की प्रसूति अवकाश मिलेगा। इसके अलावा वह अपनी नौकरी के दौरान (दो साल या (730) दिन का अवकाश ले सकेगी। यह अवकाश बच्चे के 18 साल के होने तक उसके बीमार होने या पढ़ाई आदि में वह कभी भी ले सकती है।

प्रसूति अवकाश के दौरान महिला पर किसी तरह का अरोप लगाकर उसे नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। इस महिला का एम्लॉयर उसे इस लाभ से वंचित करने की कोशिश करता है, तो महिला इसकी शिकायत कर सकती है। इसके लिए महिला कोर्ट जा सकती है, जिसके लिए दोषी को एक साल तक की कैद हो सकती है।

जमीन जायदाद में हक :

महिलाओं को पिता की सम्पत्ति पर पूरा हक है। अगर लड़की के पिता ने खुद बनाई सम्पत्ति के मामले में कोई वसीयत नहीं की है, तब उनके बाद सम्पत्ति में लड़कों को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़के और उनकी मां को यह अधिकार शादी के बाद भी कायम रहेगा।

महिला को यह अधिकार है कि उसका भरण–पोषण उसका पति करे, और पति की जो हैसियत है उसके हिसाब से कानूनी प्रावधान है कि पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है। कानूनी मामलों के जानकार बताते है कि सी.आर.पी. हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत अगर पति ने कोई वसीयत बनाई है तो उसके मरने के बाद भी उसकी पत्नी को सम्पत्ति में हिस्सा मिलता है।

हाल ही में केन्द्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि तलाक होने पर महिला को पति की पैतृक व विरासत योग्य सम्पत्ति से मुआवजा व हिस्सेदारी मिलेगी। इस मामले में कानून बनाया जाना है। जिससे महिलाओं के अधिकार बढ़ने की बात की जा रही है। कोई भी महिला अपने हिस्से में आई पैतृक सम्पत्ति या खुद अर्जित सम्पत्ति को वह बेच सकती है, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता, महिला इस सम्पत्ति की वसीयत कर सकती है, या उस सम्पत्ति से खुद की या बच्चों की देखभाल कर सकती है।

विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 :

हिन्दू विधि में सहमति से विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 की व्यवस्था करता है। अभी तक हिन्दूओं में विवाह विच्छेद की प्रक्रिया जटिल रही है लेकिन केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने हिन्दू विवाह में जिस तरह से संशोधन की स्वीकृति दी है, उससे हिन्दूओं में विवाह सम्बन्ध को तोड़ना आसान हो जायेगा। संशोधन विधेयक वर्ष 2010 में जब राज्य सभा में प्रस्तुत किया था, फिर इसे संसद की कानून एवं कार्मिक मामलों की स्थायी समिति के पास भेजा गया, संसद में पारित होने के बाद यह कानून का रूप ले सकेगा। परस्पर सहमति के आधार पर विवाह–विच्छेद हेतु न्यायालय द्वारा छः मास से अट्ठारह माह तक का समय पुर्नविचार हेतु दिया जाता था, उसे समाप्त कर दिया गया है। यदि न्यायाधीश को ऐसा प्रतीत हो कि दोनों पक्षों के बीच सम्बन्ध बनाये रखना असम्भव है तो वे तत्काल विवाह–विच्छेद का निर्णय सुना सकते है। हिन्दू विवाह कानून में यह संशोधन विवाह ढूढने की स्थिति में स्त्रियों को कानूनी दृष्टि से अधिक ताकतवर और जागरूक बनाएगा।

निष्कर्ष :

- सरकारी संस्थाओं में कार्य करने वाली महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है क्योंकि आज की नारी हर क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही है परन्तु अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है।
- वर्तमान समय की महिलाएं कभी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारीरियों के कारण कभी सामाजिक दबाव के कारण अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहती रहती है इसीलिए यदि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवश्यकता है, तभी वे अपने अधिकारों के प्रति लड़ पायेगी व अपना अधिकार प्राप्त कर सकेगी।
- कानून के जरिए स्थिति को एक हद तक बदला जा सकता है लेकिन समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए संस्कारों और मूल्यों की पहली पाठशाला घर है अतः अपने जीवन में आने वाली स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए।
- महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को लेकर कई सकारात्मक पहलू जोड़े गए हैं लेकिन स्त्रियों के मनोबल बढ़ाने वाली बातों पर ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक संस्कारों एवं मूल्यों से इस मानसिकता को बदला जा सकता है।
- यदि महिलाओं को घर समाज कार्य क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, तो सभी महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वे अपने अधिकारों के लिए न्याय के लिए लड़ पायेगी।
- वर्तमान शिक्षा व्यवस्था या समय में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता अति महत्वपूर्ण है क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाएं शोषण का शिकार होती है, घर परिवार समाज द्वारा उन्हें हीनदृष्टि से देखा जाता है। महिलाओं को पुरूष के समान अधिकार की बात अलग है बल्कि

उसे तुच्छ वस्तु माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहेगी तो वर्तमान में होने वाली घटनाओं के खिलाफ आवाज उठा सकेगी।

• महिलाओं का समाज में होने वाले परिवर्तनों में महत्वपूर्ण स्थान होता है, पुरूष व स़ी सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों ही समाज की इकाई के रूप में निरन्तर कार्य करते हैं। समाज में निवास करने वाली हर वर्ग की महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होने से उनको समाज सम्मान प्रदान करेगा कोई भी व्यक्ति महिला पर अत्याचार करने से पहले सोचेगा। अतः वर्तमान शिक्षा व्यवस्था महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवश्यकता है, जिससे समाज के पुराने रीति–रिवाज के बन्धन टूटेगें और भारतीय समाज एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा।

• यदि शिक्षकों को महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी रहती है तो विद्यार्थियों को आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकेंगे। विद्यालय स्तर पर शिक्षक स्वयं इन अधिकारों के प्रति जागरूक है। तथा विद्यार्थियों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षक भाती नागरिकों को सामाजिक व्यावहारिक, नैतिक दृष्टिकोण से तैयार करते हैं। अतः शिक्षक को कर्तव्य है कि समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति स्वयं भी जागरूक रहे तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करें। इसलिए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवश्यकता है।

• महिलाओं पर होने वाले शोषण अत्याचार के बारे में पाठ्यक्रम में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को शामिल कर इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जा सकती है, जिससे वर्तमान समय की छात्राएं भविष्य में इन शोषणों व अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा सकेगी क्योंकि युवा पीढ़ी की आवाज बहुत प्रभावशाली होती और बड़े–बड़े आन्दोलन युवाओं के कारण ही सफल हो पाया। दामिनी बलात्कार में देश के युवा सीढ़ी ने उस समय की सरकार को मजबूर कर दिया महिलाओं के लिए एक मजबूत कानून बनाने के लिए।

• समाज में महिलाओं के गिरते स्तर को उठाने के लिए शिक्षक व शिक्षार्थी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है क्योंकि दोनों ही समाज का एक अभिन्न अंग है। दोनों ही समाज में बुराई के प्रति पूर्णरूप से जाग्रत होंगे तभी आत्म निर्भर समाज की स्थापना हो पायेगी तथा सामाजिक रूप से सभी का उत्थान हो सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ–सूची :

1. आहूजा, आर. (1995) ''क्राइम अगेन्सट वूमैन'' रावत पब्लिशर, जयपुर
2. दैसाई नीता (2003) ''आधुनिक भारत में नारी'' बोरा पब्लिशर्स प्रा. लि. मुम्बई
3. गुप्ता, सुभाषचन्द्र (2000) ''कार्यशील महिलाएं एवं भारतीय समाज'' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस दिल्ली
4. श्रीवास्तव सुधारानी (2002) ''महिलाओं के प्रति अपराध'' कॉमन वेल्थ पब्लिशिंग दिल्ली
5. मजंस....(2003) महिला शोषण और मानवाधिकार, कॉमन वेल्थ पब्लिशिंग दिल्ली।
6. सारस्वत स्वपनिल..एवं सिंह (2004) ''समाज राजनीति एवं महिलाएं राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली
7. नया शिक्षक अप्रैल, 2011 अंक 4 द्वितीय संस्करण
8. नया शिक्षक अप्रैल से जून 2012 पृ. 10–13 प्रथम संस्करण
9. राजस्थान पत्रिका अगस्त 18, 2012
10. दैनिक भास्कर जनवरी 24, 2013

सरोज राय
सहायक आचार्या, शिक्षा विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान,
लाडनूं, राजस्थान.

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- Directory Of Research Journal Indexing
- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.ror.isrj.org